Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

रिट याचिका क्रमांक 2992 वर्ष 1990

वादी भजन सिंह अरोड़ा

बनाम

प्रतिवादी चतुर्थ अतिरिक्त न्यायाधीश,

जिला न्यायाधीश, बिलासपुर एवं अन्य

विचारार्थ हेतु आदेश

सही /-

न्यायाधीश

दिनांक 09-12-2010

माननीय श्री आर. एन. चन्द्राकर, न्यायाधीश

सही /-

मैं सहमत हूँ ।

आर. एन. चन्द्राकर

न्यायाधीश

निर्णय हेतु दिनांक 13 दिसम्बर, 2010 को सूचीबद्ध

सही /-

धीरेंद्र मिश्रा

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

कोरम : माननीय श्री धीरेंद्र मिश्रा एवं

माननीय श्री आर. एन. चन्द्राकर, न्यायाधीश

एम. जे. सी. क्रमांक 2992 वर्ष 1990

वादी

भजन सिंह अरोड़ा, आयु 35 वर्ष,

पिता श्री सरदार ज्ञानसिंह, निवासी गोंडपारा,

बिलासपुर, तहसील एवं जिला बिलासपुर,

मध्य प्रदेश

बनाम

प्रतिवादीगण	1. जिला न्यायाधीश, बिलासपुर के चतुर्थ अतिरिक्त 2. चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 02, बिलासपुर 3. लक्ष्मीबाई, आयु 46 वर्ष, पति हनुमानप्रसाद द्वारा श्री पवन कुमार मोदी, सुमन शृंगार स्टोर्स, राम जानकी मंदिर, बेनीपुरा रोड, जिला समस्तीपुर (बिहार)

	4. मुन्नीबाई, आयु 43 वर्ष, पति श्री द्वारिकाप्रसाद अग्रवाल, उर्दी बाजार, पी.ओ. चंदन नगर, जिला हुगली, पश्चिम बंगाल 5. शरदाबाई, आयु 40 वर्ष, पति श्री पिताम्बरलाल 6. तुलसीबाई, आयु 38 वर्ष, पति श्री निर्मलकुमार 7. शांतिबाई, आयु 35 वर्ष, पति श्री शम्भुप्रसाद खेतान 8. नीना अग्रवाल, आयु 32 वर्ष, पिता रुईमल मोदी 9. उषा अग्रवाल, आयु 30 वर्ष, पिता श्री रुईमल मोदी सभी द्वारा श्री पवन कुमार मोदी 10. पवन कुमार मोदी, आयु 28 वर्ष, पिता श्री रुईमाल मोदी, मेसर्स सुमन शृंगार स्टोर्स, राम जानकी मंदिर, बेनीपुरा रोड, जिला समस्तीपुर (बिहार)

उपस्थित: श्री भरत राजपूत, वादी के अधिवक्ता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री अंकित सिंघल, प्रतिवादी क्रमांक 5, 8 एवं 10 के अधिवक्ता।

<u>आदेश</u>

दिनांक (13.12.2010)

वादी ने यह रिट याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के अंतर्गत दायर की है, जिसमें सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 04/1988 में चतुर्थ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, बिलासपुर द्वारा दिनांक 25.08.1990 को पारित आदेश की वैधता, औपिव्यता और विधिकता को प्रश्नगत किया है। उक्त आदेश ने चतुर्थ व्यवहार न्यायाधीश, वर्ग 02, बिलासपुर द्वारा दिनांक 18.02.1988 में एम. जे. सी. क्रमांक 02/1978 में पारित आदेश को पुष्ट किया था, जिसमें सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 56-ब/1973 में भोला नाथ के विरुद्ध 07.10.1974 के निर्णय को अपास्त किया गया था (आगे पक्षकारों को विचारण न्यायालय में उनकी कुंजी के अनुसार संदर्भित किया जाएगा)।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. संक्षेप में, उनका तर्क यह हैं कि भोला नाथ, प्रतिवादी ने दिनांक 10.08.1973 को विक्रय अनुबंध (अनुलग्नक पी /1) पर हस्ताक्षर किए, जिसकी रकम 10,000/- रुपए थी और उन्होंने अग्रिम राशि के रूप में 5,000/- रुपए प्राप्त किए। वादी ने प्रतिवादी को पंजीकृत विक्रय विलेख निष्पादित करने के लिए नोटिस भेजा और उसके बाद अग्रिम राशि की वापसी हेतु सिविल पुनरीक्षण क्रमांक 56-ब/73 भोला नाथ और उनके छोटे भाई, जो अप्राप्तवय पवन कुमार थे, उसके विरुद्ध दायर की। जब समंस गलत पते के कारण नहीं पहुँच पाए, तो वादी को दैनिक समाचार पत्र में समंस प्रकाशित करने के माध्यम से प्रतिस्थापित सेवा करने की अनुमति दी गई और तदानुसार, समंस दिनांक 11.07.1974 को समाचार पत्र में प्रकाशित किए गए, सुनवाई की तिथि 13.07.1974 बताई गई। इसके बाद, प्रतिवादी पर दिनांक 29.08.1974 को एकपक्षीय कार्रवाई की गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

श्री डी. आर. शर्मा, अधिवक्ता को अप्राप्तवय प्रतिवादी क्रमांक 2 के लिए वादार्थ संरक्षक के रूप में नियुक्त किया गया। वादी को दिनांक 05.09.1974 को याचिका में संशोधन करने और अप्राप्तवय प्रतिवादी क्रमांक 2 का नाम प्रतिवादीगण की सूची से हटाने की अनुमति दी गई। संशोधन के बाद, किसी नए समंस का निर्गमन नहीं किया गया और उसी दिन, यानि दिनांक 05.09.1974 को, एकपक्षीय साक्ष्य दर्ज किए गए और दिनांक 07.10.1974 को एकपक्षी यनिर्णय पारित किया गया और उसी का निष्पादन किया गया। प्रतिवादी द्वारा विक्रय के लिए सहमति दिए गए घर को 25 अक्टूबर, 1976 को कुर्क किया गया और नीलामी में राम प्रसाद यादव को विक्रीत किया गया, जिन्हें दिनांक 12.03.1977 को घर का कब्जा भी सौंपा गया।

3. प्रतिवादी भोला नाथ ने अपने मित्र श्रीमती मुन्नीबाई के माध्यम से दिनांक 02.01.1978 को एक आवेदन (अनुलग्नक पी /3) दायर किया, जिसमें

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने का अनुरोध किया गया। इसका कारण यह था कि प्रतिवादी 1972-73 से लगभग 03 वर्ष से अपने पिता की मृत्यु के पश्चात वह विकृतचित्र था। उस पर समंस की सम्यक तामीली नहीं हुई थी और उसे कार्यवाही के बारे में तब पता चला जब अगली मित्र ने एकपक्षीय निर्णय के बारे में एक सप्ताह पहले जानकारी प्राप्त की और आवेदन एकपक्षीय निर्णय की जानकारी प्राप्ति की तिथि से 30 दिनों के भीतर दायर किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

आवेदन के लंबित अवधि के दौरान, प्रतिवादी का दिनांक 05.01.1984 को निधन हो गया और उसके विधिक उत्तराधिकारीगण को अभिलेख में लाया गया । वादी/निर्णीतऋणी का भी निधन हो गया और उसके विधिक उत्तराधिकारी दिनांक 08.10.1995 को अभिलेख में लाया गया।

4. विचारण न्यायालय ने उभय पक्षोंद्वारा प्रस्तुत साक्ष्य का मूल्यांकन करने के बाद और इस आधार पर कि निष्पादन मामले में दिनांक 14.02.1976

और 14.07.1976 के समंस बिना तामीली प्राप्त हुए, जिसमें यह पृष्ठांकन था कि निर्णीतऋणी पिछले चार वर्षों से स्वस्थ नहीं है, यह स्पष्ट निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी 1972 से पूरी तरह से विकृतचित्र हो गया था और उसकी विकृतचित्रता अत्यधिक थी। उसे उपचार के लिए 1972-73 में रांची भेजा गया था और तदानुसार, एकपक्षीय निर्णय को अपास्त किया गया। विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध पुनरीक्षण को निरस्त कर दिया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

5. बहस के दौरान, अन्य तर्कों के अतिरिक्त, व्य. प्र. सं. के आदेश व नियम 13 के अंतर्गत आवेदन की पोषणीयता पर इस आधार पर आपत्ति उठाई गई की विचारण न्यायालय में व्य. प्र. सं. के तहत यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि एकपक्षीय निर्णय किसी विकृतचित्र या अप्राप्तवय के खिलाफ बिना मित्र नियुक्त किए पारित किया गया है। ऐसी स्थिति में, उस व्यक्ति को स्वयं वाद दायर करना होता है और आदेश 9 नियम 13 व्य.

प्र. सं. के तहत आवेदन पोषणीय नहीं हैं । क्योंकि ऐसी स्थिति में ऐसे प्रतिवादी को वाद का पक्षकार नहीं माना जाता।

6. सम्माननीय एकल न्यायाधीश ने, इस विषय पर विभिन्न उच्च न्यायालयों द्वारा दिए गए अनेक विरोधाभासी निर्णयों का पृष्ठांकन करने के बाद, यह अवलोकन किया कि वादी द्वारा उठाया गया प्रश्न सामान्य महत्व का है और दिन-प्रतिदिन घटित होता है। इसे अधिकारिक रूप से निर्णीत किए जाने की आवश्यकता है और तदानुसार, मामले को उचित न्यायपीठ को भेजा गया और परिणामस्वरूप इसे युगलपीठ के पास भेजा गया। यह भी अवलोकन किया गया कि विचारण न्यायालय ने एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने के आवेदन को अनुमति दी थी और स्पष्ट निष्कर्ष अभिलेख किया कि वाद दायर करने के समय से लेकर निर्णय पारित होने तक, प्रतिवादी विकृतचित्र था, जिस पर समंस तामील नहीं किए गए थे और बिना संरक्षक की नियुक्त किए पारित किया गया एकपक्षीय डिक्री अकृत

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

था। विचारण न्यायालय के आदेश के विरुद्ध दायर पुनरीक्षण को भी खारिज कर दिया गया।

7. याचिका में केवल यही प्रश्न शेष है कि क्या आदेश 9 नियम 13 व्य. प्र. सं. के तहत अप्राप्तवय या विकृतचित्र व्यक्ति के खिलाफ, जिसे उसकी अगली मित्र या नियुक्त संरक्षक की द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया, पारित एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने का आवेदन पोषणीय है?

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. **<u>सेठ परमानंद और अन्य बनाम लक्ष्मीचंद</u>** मामले में, जो **ए. आई. आर. 1922 नागपुर 249(2)** में प्रकाशित है, माननीय एकल न्यायाधीश ने यह अवधारित किया कि आदेश 9 नियम 13 व्य. प्र. सं. के तहत अप्राप्तवय के खिलाफ पारित एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने के लिए अप्राप्तवय का आवेदन पोषणीय नहीं होता। यह अवलोकन किया गया कि एक अप्राप्तवय, जिसे वाद में उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया हो वाद का उचित अर्थ में पक्षकार नहीं होता और वाद की कार्यवाही उस पर बंधनकारी नहीं हैं ।

9. इलाहाबाद उच्च न्यायालय की युगलपीठने **<u>मोती चंद बनाम बलराम दास</u>** मामले में, जो **ए. आई. आर. 1933 इलाहाबाद 116** में प्रकाशित है, विपरीत दृष्टिकोण अपनाया और अवधाकित किया कि न्यायालय आदेश 9 नियम 13 व्य. प्र. सं. के तहत अप्राप्तवय के खिलाफ पारित एकपक्षीय निर्णय को अपास्त कर सकता है और नया संरक्षक नियुक्त करने का आदेश दे सकता है, जहां संरक्षक उचित रूप से नियुक्त नहीं किया गया हो और उसने लापरवाही की हो। अप्राप्तवय को नया वाद दायर करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस मुद्दे पर ट्रावनकोर-कोचीन उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने **<u>कोचुनारायणी अम्मा नलिनी बनाम वेलु मेनन गोविंदा मेनन</u>** मामले में, **ए. आई. आर. 1956 ट्रावनकोर-कोचीन 166** में प्रकाशित, पुनः विचार किया। इसमें यह अवधाकित किया गया कि अप्राप्तवय, जिसके खिलाफ वाद के संचालन में वादार्थ संरक्षक की गंभीर लापरवाही के कारण एकपक्षीय निर्णय पारित किया गया हो, आदेश 9 नियम 13 व्य. प्र. सं.

के तहत एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने का आवेदन कर सकता है। हालाँकि, मध्य भारत इंदौर खंडपीठ के उच्च न्यायालय के सम्माननीय एकल न्यायाधीश ने, **<u>गेन्दालाल बनाम सीताबाई भागवत</u>** मामले में, **1967 मध्य भारत 10 (ए. आई. आर. V 44 CF Jan.)** में यह अवधाकित किया कि अप्राप्तवय या विकृतचित्र व्यक्ति के खिलाफ, जो उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया, पारित एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने के लिए आदेश 9 नियम 13 व्य. प्र. सं. के तहत आवेदन नहीं किया जा सकता, क्योंकि विधि के अनुसार प्रतिनिधित्व न किए गए विकृतचित्र व्यक्ति को वाद का पक्षकार नहीं माना जा सकता।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने **<u>विजय कुमार बनाम माधवराव</u>** मामले में **1964 JLJ 388** में इसी तरह का दृष्टिकोण अपनाया। **<u>राम चंद्र आर्य बनाम मान सिंह एवं अन्य</u>** मामले में, **ए. आई. आर. 1968 उच्चतम न्यायालय 964** में प्रकाशित, ऐसा अवधाकित किया गया एक विकृतचित्र के खिलाफ घर के कब्जे के लिए

वाद डिक्रीत किया गया और उस निर्णय के निष्पादन में घर विक्रीत किया गया तथा विक्रय प्रमाणपत्र जारी किया गया। हालाँकि, प्रतिवादी ने वाद के घर में रहना जारी रखा। प्रतिवादी का निधन हुआ और कोई वारिस नहीं छोड़ा, और संपत्ति का कब्जा महाराजा के सेवकों ने लिया क्योंकि प्रतिवादी महाराजा का प्रजा था। पूर्व के निर्णीतऋणी के पुत्र द्वारा घर के कब्जे के लिए एक वाद दायर किया गया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने यह वाद अंतिम रूप से निरस्त कर दिया क्योंकि निर्णय विकृतचित्र के खिलाफ पारित किया गया था और इसलिए अकृत था, अतः उस निर्णय के निष्पादन में किया गया विक्रय शून्य था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. **<u>गिर्जा देवी एवं अन्य बनाम इन्द्रनाथ सक्सेना एवं अन्य</u>** मामले में, जो **1982 JLJ 61** में प्रकाशित में माननीय एकल न्यायाधीश ने यह अवधाकित किया कि जब अप्राप्तवय प्रतिवादी के खिलाफ वाद दायर किया जाता है और प्रतिवादी उचित रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया गया हो, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि अप्राप्तवय के हितों की रक्षा हेतु संरक्षक

नियुक्त किया जाए। अप्राप्तवय की ओर से आदेश 9 नियम 13 व्य. प्र. सं. के तहत आवेदन स्वीकार किया गया और निर्णय अपास्त कर दिया गया।

हालाँकि, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश ने **बुढ़ाल नेपाल चंद्र ललित मोहन सह फर्म एवं अन्य बनाम सुधांशु रंजन देव एवं अन्य** मामले में, **ए. आई. आर. 1976 गुवाहाटी 7** में यह अवधाकित किया कि आदेश 9 नियम 13 व्य. प्र. सं. के तहत अप्राप्तवय द्वारा, जिसे संरक्षक की द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया, पारित एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने का आवेदन पोषणीय नहीं है और यह अवलोकन किया गया कि अप्राप्तवय के संबंध में निर्णय को अपास्त करने की आवश्यकता नहीं थी। समान दृष्टिकोण पटना उच्च न्यायालय ने **रामबदन राय एवं अन्य बनाम पलटन पासवान एवं अन्य** मामले में, **ए. आई. आर. 1977 पटना 1** में अपनाया, जिसमें यह अवधाकित किया गया कि अप्राप्तवय प्रतिवादी के खिलाफ बिना उचित प्रतिनिधित्व के पारित निर्णय उस अप्राप्तवय पर बंधनकारी नहीं है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इस प्रकार का डिक्री अकृत होने के कारण और उस पर बंधनकारी न होने के कारण अपास्त करने की आवश्यकता नहीं है। हालाँकि, पटना उच्च न्यायालय की युगलपीठ ने, **<u>मुहम्मद हसन एवं अन्य बनाम मुहम्मद अब्बास एवं अन्य</u>** मामले में, **ए. आई. आर. 1984 पटना 170** में यह अवधाकित किया गया कि आदेश 9 नियम 13 व्य. प्र. सं. के तहत आवेदन उचित उपचार प्रदान करता है, यहाँ तक कि अप्राप्तवय के लिए भी, जब नोटिस उचित रूप से तामिल नहीं किए गए या जब किसी पर्याप्त कारण अप्राप्तवय को वाद में उपस्थित होने से रोका दिया हो। यह भी अवलोकन किया गया कि उसके लिए अन्य उपचार उपलब्ध हो सकते हैं, लेकिन कोड के आदेश 9 नियम 13 के तहत उपचार को ऐसी परिस्थितियों में बाधित नहीं कहा जा सकता।

12. हमने इस मुद्दे पर विभिन्न उच्च न्यायालयों के निर्णयों का पृष्ठांकन किया है। इसमें यह सर्वसम्मति है कि अप्राप्तवय या विकृतचित्र व्यक्ति के खिलाफ, बिना उचित रूप से नियुक्त विधिक संरक्षक को शामिल किए,

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पारित निर्णय अकृत है। हालाँकि, ऐसे निर्णयों के खिलाफ प्रतिवादिगण को उपलब्ध उपचारों के संबंध में मतभेद है।

13. हमारा विचार है कि जब एकपक्षीय निर्णय किसी विकृतचित्र के खिलाफ प्रतिस्थापित तामीली द्वारा प्रभावी समंस के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, तो ऐसे प्रतिवादी के लिए निष्पादन कार्यवाही में आपत्ति उठाने या आदेश 9 नियम 13 व्य. प्र. सं. के तहत समंस की अनुचित और अमान्य तामीली के आधार पर एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने के लिए आवेदन करने में कोई बाधा नहीं है। यद्यपि ऐसे व्यक्ति के लिए अन्य उपचार भी हो सकते हैं, लेकिन कोड के आदेश 9 नियम 13 के तहत उपचार को ऐसी परिस्थितियों में नहीं कहा जा सकता।

14. राम चंद्र आर्य (पूर्वोक) मामले में, उच्चतम न्यायालय ने यह अवधाकित किया कि विकृतचित्र व्यक्ति के खिलाफ पारित डिक्री अकृत है। इसके बाद, अन्य लोगों के खिलाफ वाद संपत्ति के कब्जे की वसूली के लिए निर्णीतऋणी से कब्जा प्राप्त करने वाले व्यक्तियों द्वारा यह विरोध किया जा

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सकता है कि विकृतचित्र व्यक्ति के खिलाफ पारित डिक्री अकृत है और ऐसे विकृतचित्र व्यक्ति या उनके माध्यम से दावा करने वाले व्यक्ति को पहले के निर्णय को अकृत घोषित करने के लिए आदेश 21 नियम 89 एवं 90 के तहत अलग कार्यवाही दायर करने का निर्देश नहीं दिया जा सकता ।

15. उपरोक्त चर्चाओं और कोचुनारायणी अम्मा नलिनी बनाम वेलु मेनन गोविंद मेनन (पूर्वोक्त), गिर्जा देवी एवं अन्य बनाम इन्द्रनाथ सक्सेना एवं अन्य (पूर्वोक्त) और मुहम्मद हसन एवं अन्य बनाम मुहम्मद अब्बास एवं अन्य (पूर्वोक्त) में दिए गए निर्णयों के आधार पर, हम एकल न्यायाधीश द्वारा हमें संदर्भित प्रश्न का उत्तर सकारात्मक रूप में देते हैं और यह अवधाकित करते हैं कि आदेश 9 नियम 13 व्य. प्र. सं. के तहत अप्राप्तवय या विकृतचित्र व्यक्ति के खिलाफ, जिसे उसके मित्र या उचित रूप से नियुक्त संरक्षक द्वारा प्रतिनिधित्व नहीं किया गया, पारित एकपक्षीय निर्णय को अपास्त करने का आवेदन पोषणीय है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

16. विचारण न्यायालय ने अभिलेख पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर यह स्पष्ट रूप से अभिलेख किया कि वाद दायर करने के समय से लेकर डिक्री पारित होने तक प्रतिवादी विकृतचित्र था, जिस पर समंस की तामील नहीं की गई थी और बिना संरक्षक नियुक्त किए एकपक्षीय डिक्री प्राप्त की गई, जो अकृत है और उक्त तथ्य की आगे वादी द्वारा पुनरीक्षण में भी पुष्टि की गई।

17. हमारा विचार है कि निम्न न्यायालय द्वारा अभिलेख किए गए उक्त तथ्य में कोई असंमतता नहीं है और हम इस याचिका में कोई सार नहीं पाते, अतः इसे तदानुसार अपास्त किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-	सही/-
धीरेंद्र मिश्रा	आर. एन. चन्द्राकर
न्यायाधीश	न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णयका अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

Translated By Prasant Parakh